श्री कलराज मिश्र

मान्नीय राज्यपाल, राजस्थान का उद्‌बोधन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती

दिनांक 15 जनवरी, 2020 **समय प्रातः 11.00 बजे**

स्थान – होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर

आज इस खास मौके पर उपस्थित होकर मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती राष्ट्र मना रहा है।

क्लार्क्स ग्रुप के फांउडर बाबू बृजपाल दास जी का जन्म दिवस आज यहां मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों महान हस्तियों को श्रद्वाजंलि अर्पित करता हूं। आशा करता हूं कि इन दोनों के आदर्शों पर चलकर हम अपने समाज और देश के सामाजिक, बौद्धिक, और आर्थिक विकास में समग्रता से सहयोग कर सकते हैं।

मैं श्री अपूर्व कुमार जी व उनके परिवार को आज के इस विशेष अवसर पर बधाई देता हूं। बाबू ब्रजपाल दास जी के साथ मेरा एक तरह से विशेष संबंध रहा है। लखनऊ के नाते से मैं बाबूजी के परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। विकासशील भारत की संतान के रूप में वह सम्माननीय हैं।

उन्होंने कौशल विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए और आज भी उनका परिवार पूरी नम्रता से उनके

लगाए पौधे को सींच रहा है। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है।

आज मैं विशेष रूप से भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्वा से नतमस्तक होते हुए यहां उपस्थित बच्चों और युवाओं को संविधान की उद्देशिका को दोहाराना चाहता हूं और संविधान में लिखित हमारे मूल कर्तव्यों का जिक्र करना चाहता हूं।

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मूल कर्त्तव्य

अनुच्छेद 51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

(1) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(2) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(3) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(4) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(6) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें;

(7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(9) सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;

(11) जो माता–पिता या संरक्षक हो वह, छः से चौदह वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

इस समारोह में मुझे बुलाया, इसके लिए आप सभी का आभार।

धन्यवाद। जयहिन्द।